



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग (पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2 ()पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/Election/2017/185

जयपुर, दिनांक 12/1/18

आदेश

राज्य के अलवर एवं अजमेर संसदीय क्षेत्र एवं माण्डलगढ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव दिनांक 29.1.18 को सम्पन्न कराये जाने है। उक्त चुनावों के मध्यनजर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन क्षेत्र में गत 4 वर्षों में 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से निम्न विकास अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय पंचायती राज विभाग किया जाता है:-

क्र.स.	नाम विकास अधिकारी	वर्तमान पदस्थापन स्थान
1.	श्रीमती नेहा चतुर्वेदी, RRDS,	कोटकासिम (अलवर)
2.	श्री बलदेव सिंह गुर्जर, RRDS,	राजगढ (अलवर)
3.	श्री कैलाश चन्द बारोलिया, RRDS,	मुण्डावर (अलवर)

उक्त विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 15.7.2014 के क्रम में पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों की वरियता के क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।


(इकबाल खान)

संयुक्त शासन सचिव (प्रशा-1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर को उनकी अ.शा. टीप क्रमांक एफ 1(31)।।।/बी/निर्वा/2014/7480 दिनांक 1.1.2018 के क्रम में।
8. संभागीय आयुक्त जयपुर एवं अजमेर।
9. जिला कलक्टर, भीलवाडा/अजमेर/अलवर/जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा/अजमेर/अलवर/जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त के अतिरिक्त भी यदि कोई अन्य चुनावों से जुड़ा हुआ विकास अधिकारी गृह निर्वाचन क्षेत्र में पदस्थापित है या जिनकी सेवा अवधि गत 4 वर्षों में से 3 वर्ष से अधिक हो गयी है को भी अविलम्ब कार्यमुक्त कर आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज के लिये कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
11. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त विकास अधिकारियों को अविलम्ब कार्यमुक्त करते हुये पूर्व में विभागीय आदेशों द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में किये गये विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी एवं बहरोड को भी कार्यमुक्त करने का श्रम करें।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति मुण्डावर/कोटकासिम/राजगढ जिला अलवर।
13. ए.सी.पी. मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
15. आदेश पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव(प्रशा-1)